

पेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत,

हरिहरपुर, जनपद-संतकबीरनगर।

नगर विकास अनुभाग-9-

लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, संतकबीरनगर के पत्र संख्या-1686/- एल.बी.सी./2017-18 दिनांक 02.02.18, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में नया सवेरा नगर विकास योजना (वर्तमान में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना) के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निम्न तालिका के स्तम्भ-7 में उल्लिखित धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान संख्या-83

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में द्वितीय किश्त के रूप में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	संतकबीरनगर	नगर पंचायत हरिहरपुर	179/2016/आरएफ- 1409/नौ-9-16-117 आरएफ/16,दिनांक 27.12.2016	150.00	75.00	75.00
			योग			75.00

(रूपये पचहत्तर लाख मात्र)

- (1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक-6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02-मलजल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-403-नगर पंचायत-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
- (2) उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश की मूल शर्तें यथावत लागू रहेगी।
- 3 यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
28/3/18
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-27/2018/आर.एफ.195(1)/नौ-9.2018 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, संतकबीरनगर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. सम्बन्धित नगर पंचायत, अध्यक्ष, उ0प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8
10. गार्ड फाइल।
11. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

o/c

आजा से,
28/3/18
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-23/03/2018

प्रेषण संख्या:- 27
आवंटन आदेश संख्या:- 001-27-2018-RF125-9-9-18-117RF-16
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 -
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	7500000	7500000
		प्रगामी	15468500	15468500
	योग	वर्तमान	7500000	7500000
		प्रगामी	15468500	15468500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचहत्तर लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौवन लाख अड़सठ हजार पाँच सौ


(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव